

Attachement 2.23

**वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का
प्रमाण-पत्र**

परियोजना का नाम :- सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.३१० हे० सिविल,
१.३२२ हे० वन पंचायत, कुल १.६३२ हे० वन भूमि का लोक निर्माण
विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि
पर वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ दन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
विश्वजी मिश्रा राउत
नामगल-गढ़

नि० खा० लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, (चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)